दिनांक 08.08.2025
प्रेस विज्ञप्ति 10/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की गयी समीक्षा बैठक

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा आज दिनांकः 08.08.2025 को समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त/परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/जनपद प्रभारी उ0प्र0 के साथ जनसुनवाई, साइबर अपराध, प्रशिक्षण एवं मुख्यालय से निर्गत आदेशों के अनुपालन की स्थिति के सम्बंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की गयी।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा समीक्षा बैठक के दौरान सर्वप्रथम अपनी 10 प्राथमिकताओं को दोहराते हुये क्रमवार सभी प्राथमिकताओं की प्रगति की समीक्षा की गयी तथा कहा कि 10 प्राथमिकताओं के लक्ष्य को 03 बैक बोन 1. **तकनीक, 2. प्रशिक्षण एवं 3. प्रतिभा विशेषज्ञता** के माध्यम से प्रभावी रूप से प्राप्त किया जा सकता है।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा बैठक के दौरान मुख्यतः निम्न 03 बिन्दुओं पर चर्चा की गयीः-

1- जनसुनवाई

2- साइबर अपराध

3- प्रशिक्षण

- जनशिकायतों के निस्तारण पर चर्चा के दौरान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा कहा गया कि जनशिकायतों का निस्तारण का मूल्यांकन इन्फार्मेशन एवं डेटा के आधार पर करना होगा।
- गोष्ठी के दौरान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जनपदों के आईजीआरएस की शिकायतों के निस्तारण के तुलनात्मक डेटा को दिखाते हुये समीक्षा की गयी तथा वरिष्ठ अधिकारियों से अपेक्षा की गयी कि वह स्वयं नियमित रूप से आईजीआरएस के प्रकरणों की समीक्षा करें।

- वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन जनशिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण के आधार पर होगा इसी प्रकार जनपद प्रभारी भी अपने–अपने जनपदों के थाना प्रभारियों के कार्यों का मूल्यांकन जनशिकायतों के निस्तारण के आधार पर करना सुनिश्चित करें।
- थानों की कार्यप्रणाली इस प्रकार विकसित करें कि जनता का कोई भी व्यक्ति थाने पर निसंकोच आ कर अपनी शिकायत दर्ज करा सके। थानों पर अवांछनीय तत्वों का प्रवेश पूर्णतया बंद करा दिया जाये।
- जनशिकायतों के निस्तारण में "Laser focus" रखने हेतु निर्देशित किया गया।
- साइबर अपराधों पर चर्चा करते हुये पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा बताया गया कि कोविड के बाद से साइबर अपराधों के प्रकरणों में वृद्धि हुयी है अतः उत्तर प्रदेश पुलिस को भी अपनी क्षमता को उसी प्रकार उच्चीकृत किये जाने की आवश्यकता है।
- थाने पर गठित साइबर सेल के सुदृढ़ीकरण और उनके कार्यों के बारे में निर्देश पहले से ही निर्गत किये जा चुके हैं जिनको पूरा करते हुए अगले 15 दिन के अंदर समस्त थानों पर साइबर सेल को सुदृढ़ करते हुये वरिष्ठ अधिकारी यह सुनिश्चित करा लें कि साइबर सेल में दक्ष एवं भिज्ञ कर्मी ही नियुक्त हों।
- क्षमता वृद्धिकरण में प्रशिक्षण के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश दिए गए कि I4C (Indian Cybercrime Coordination Centre), MHA द्वारा साइबर प्रशिक्षण के पोर्टल CyTrain पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पुलिस अधिकारियों–कर्मचारियों को एनरोल करवा कर प्रशिक्षण की शुरुआत की जाए। इस दिशा में भी आगामी 15 दिनों के अंदर परिणाम परिलक्षित होने चाहिए।
- थाना स्तर और जनपद स्तर के साइबर सेल सुदृढ़ होकर तत्परता से पीड़ितों की शिकायतों से संबंधित पोर्टल नेशनल साइबर क्राईम रिर्पोटिंग पोर्टल (NCRP) का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे और इस पोर्टल के माध्यम से जो निर्धारित कार्यवाही की जानी है उसको अतिशीघ्र सुनिश्चित करें। आने वाले दिनों में इस पोर्टल की कार्यवाही से संबंधित SOP भी मुख्यालय से जारी की जाएगी जो जनपदों/ कमिश्नरेट्स की साइबर सेल और समस्त थानों की साइबर सेल को इस पोर्टल पर सुगमता से कार्य करने में सहायक होगी।
- प्रशिक्षण पर चर्चा के दौरान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा कहा गया कि प्रशिक्षण प्रतिदिन की प्राथमिकता है, यह एक Attitude है। वरिष्ठ अधिकारी जनपदों व पीएसी इकाइयों में भ्रमण के दौरान वहां दिये जा रहे प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

- फील्ड व पीएसी इकाइयों में नियुक्त कर्मियों को भी आपरेशनल एवं सिचुएशनल प्रशिक्षण प्रदान किया जाये।
- प्रशिक्षण एक कमॉण्ड जॉब है, जिसे वरिष्ठ अधिकारियों को ही अपने निकट पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में कराना होगा।
- पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से अपेक्षा की गयी कि वह स्वयं भी कानून, फारेंसिक एवं तकनीकी ज्ञान की समुचित जानकारी रखें।
- पुलिस महानिदेशक द्वारा बताया गया कि मुख्यालय स्तर पर उत्तर प्रदेश पुलिस के समस्त कर्मियों का उनकी प्रतिभा, योग्यता एवं विशेषज्ञता के आधार पर वर्गीकरण किया जा रहा है निकट भविष्य में उनका प्रयोग उनकी स्किल क्षमता के आधार पर ही किया जायेगा।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा अन्त में अपेक्षा की गयी कि पुलिस अपनी कार्य संस्कृति में सुधार एवं परिवर्तन लायें तथा मुख्यालय द्वारा निर्गत सर्कुलरों एवं आदेशों/निर्देशों का अनुश्रवण करते हुये उनका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

दिनांक 08.08.2025
प्रेस विज्ञप्ति 11/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 को ISO 9001:2015 Quality Management System प्रमाण पत्र प्रदान किया गया

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को आज दिनांक 08.08.2025 को **श्री नवीन अरोरा**, अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें मुख्यालय, उ0प्र0 द्वारा कन्नौज प्रयोगशाला को प्राप्त ISO प्रमाण पत्र की प्रति भेंट की गयी। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कन्नौज को प्रथम ISO प्रमाणित प्रयोगशाला बनने पर पर्यवेक्षण अधिकारियों एवं कन्नौज प्रयोगशाला के समस्त कर्मचारियों को बधाई दी गई।

अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें मुख्यालय, उ0प्र0 की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन तथा प्रभारी निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कन्नौज को "PROVIDING SERVICE OF FORENSIC EXAMINATION, ANALYSIS AND REPORTING OF FORENSIC EVIDENCE TO THE JUDICIARY AND LAW ENFORCEMENT AGENCIES" हेतु प्रतिष्ठित ISO 9001:2015 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

ISO 9001:2015 प्रमाण पत्र प्राप्त करना कन्नौज प्रयोगशाला के लिये एक महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट उपलब्धि है, जो यह दर्शाता है कि प्रयोगशाला वैज्ञानिक विश्लेषण के कार्यों में उच्च स्तरीय गुणवत्ता, पारदर्शिता, तटस्थता एवं वैज्ञानिक प्रक्रिया का पालन कर रही है। यह प्रमाण न केवल प्रयोगशाला की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करेगा, बल्कि न्यायिक प्रणाली में वैज्ञानिक साक्ष्यों की विश्वसनीयता को भी और अधिक सशक्त बनाएगा।

CERTIFICATE
FORENSIC SCIENCE LABORATORY, KANNAUJ
IAF

CERTIFICAT*CERTIFICATE*СЕРТИФИКАТ*CERTIFICATO*SERTIFIKAT

HAWK EYE
Certifications

CERTIFICATE

This is to Certify that the Quality Management System of

FORENSIC SCIENCE LABORATORY, KANNAUJ

FORENSIC SCIENCE LABORATORY, TALGRAM
KANNAUJ, UTTAR PRADESH- 209731 (INDIA)

has been audited and found to comply with the requirements of:

ISO 9001:2015
Quality Management System

For the scope of activities described below:

PROVIDING SERVICE OF FORENSIC EXAMINATION, ANALYSIS AND REPORTING OF FORENSIC EVIDENCE TO THE JUDICIARY AND LAW ENFORCEMENT AGENCIES.

IAF Code:35

Certificate Number: **EGQ/2507FC/3535**
Initial Date of Certification: **30.07.2025**
Date of Certificate: **30.07.2025**
Date of Expiry: **29.07.2028**

1st Surv. Due on: **29.06.2026**
2nd Surv. Due on: **29.06.2027**

Director:

Date: **30.07.2025**

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

المجلس الوطني للاعتماد
EGAC
Accredited
QMS Certification
CAB # 012212

Validity of this certificate is subject to successful completion of surveillance audit on or before due date, in case surveillance audit not conducted this certificate shall be suspended/cancelled.
For verification and updated information concerning the present certificate visit to www.thehawk-eye.com
This Certificate is the property of Hawk Eye Certifications Pvt. Ltd. and shall be returned immediately when demanded.

Hawk Eye Certifications Private Limited
Wave Silver Tower, Shop No. 422, 4th Floor, Sector-18, Noida-201301 U.P (INDIA).
www.thehawk-eye.com
email: admin@thehawk-eye.com

दिनांक 08.08.2025
प्रेस विज्ञप्ति 12/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफः जनपद प्रतापगढ़ से रू0 50,000/- का पुरस्कार घोषित अभियुक्त शहरेयार महाराष्ट्र से गिरफ्तार।

दिनांकः 08-08-2025 को एस0टीएफ0 उत्तर प्रदेश को थाना पटटी, जनपद प्रतापगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 179/2025 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 61(2), 109(1), 351(3) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट में वांछित रू0 50,000/- का पुरस्कार घोषित अभियुक्त शहरेयार को महाराष्ट्र (मुम्बई) से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

शहरेयार पुत्र इबरार निवासी बहरापुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय-

अशर्फिया मस्जिद चॉल कसाईबाडा कुर्ली ईस्ट थाना क्षेत्र मुम्बई महाराष्ट्र दिनांक 07-08-2025 समय करीब 11:00 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वांछित एवं पुरस्कार घोषित सक्रिय अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु एस0टी0एफ0 उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/फील्ड इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री दिनेष कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, लखनऊ के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में पुरस्कार घोषित फरार अपराधियो के सम्बन्ध में सूचना संकलन की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में उ0नि0 श्री राहुल परमार के नेतृत्व में मुख्य आरक्षी पुष्पेन्द्र सिंह, मु0आ0 अरविन्द सिंह, देवेष द्विवेदी, आरक्षी सत्यम यादव चालक षिवकुमार की एक टीम भ्रमणषील थी। इस दौरान सूचना मिली कि थाना पटटी, जनपद प्रतापगढ़

में पंजीकृत मु0अ0सं0 179/2025 में वांछित रू0 50,000/- का पुरस्कार घोषित अपराधी शहरेयार मुम्बई की असर्फिया मस्जिद चॉल कसाईबाडा में छुप कर रह रहा है। प्राप्त सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा अशर्फिया मस्जिद चॉल कसाईबाडा कुर्ली ईस्ट थाना क्षेत्र मुम्बई महाराष्ट्र से वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त शहरेयार ने पूछताछ में बताया, कि वर्ष–2018 में उसने अपने साथी अरमान के साथ मिलकर होमगार्ड को पीटकर उसकी रायफल छीन ली थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मान्धाता में अभियोग पंजीकृत है। वर्ष–2019 में अपने साथी मेराज व अफसर के साथ मिलकर थाना क्षेत्र जेठवारा प्रतापगढ में जन सेवा केन्द्र से 1.5 लाख की लूट किया था। शहबाज, लम्बू, तौफीक उर्फ छोटू, शहबाज उर्फ लोडर के साथ मिलकर गुजरात में भी लूट की घटना को अन्जाम दिया है। वर्ष–2024 में बडोदरा (गुजरात) में पेट्रोल पम्प से 4.65 लाख रूपये की लूट किया था, जिसमें इसका एक साथी पकड़ा गया था व अन्य मौके से फरार हो गये थे। इस घटना में भी यह वांछित चल रहा था। वर्ष–2025 में थाना क्षेत्र देल्हूपुर, प्रतापगढ में एक लड़के के साथ लूट की घटना किया था। इसके साथी महफूज की नबाव से आपसी रंजिष चल रही थी। इसी बात को लेकर दिनांक 17–06–2025 को नबाव व उसके साथियो द्वारा फोन पर महफूज को जान से मारने धमकी देकर गाली गलौज किया गया था। इस बात का बदला लेने के लिये उसी दिन महफूज के कहने पर इसके द्वारा अपने साथियो के साथ मिलकर करौल बाजार में नबाव के साथ मारपीट व फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें 04 लोग घायल हुए थे। इस घटना के सम्बन्ध में थाना पटटी, जनपद प्रतापगढ़ में अभियोग पंजीकृत हुआ था। घटना के बाद से ही यह फरार चल रहा था, जिसके गिरफ्तारी हेतु रू0 50 हजार का पुरस्कार घोषित किया गया था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः–</u>

1– मु0अ0सं0 249/2018 धारा 394/411 भादवि थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

2– मु0अ0सं0 224/2018 धारा 394/411 भादवि थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

3– मु0अ0सं0 454/2019 धारा 397, 395, 412, 120बी भादवि थाना जेठवारा जनपद, प्रतापगढ़।

4— मु0अ0सं0 345/2020 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

5— मु0अ0सं0 810/2024 धारा 310(4), 310(5), 61(2) बीएनएस व 25ए आर्म्स एक्ट व 135(1) एपीजे एक्ट थाना वरनामा बडोदरा, गुजरात।

6— मु0अ0सं0 422/2024 धारा 110, 115(2), 117(2), 118(1), 190, 191(2), 191(3), 351(2), 352 बीएनएस थाना कोतवाली जनपद प्रतापगढ़।

7— मु0अ0सं0 179/2025 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 61(2), 109(1), 351(3) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट थाना पटटी जनपद प्रतापगढ।

8— मु0अ0सं0 66/2025 धारा 109(1), 115(2), 126(2), 190, 191(2), 191(3) 351(3), 288 बीएनएस थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ।

गिरफ्तार अभियुक्त शहरेयार को मु0अ0सं0 179/2025 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 61(2), 109(1), 351(3) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट थाना पटटी जनपद प्रतापगढ में दाखिल किया गया, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

जनपद बहराइच/थाना रूपईडीहा

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 08.08.2025 को थाना रूपईडीहा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सुमेरपुर मोड़ से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अजय कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना नानपारा पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रूपईडीहा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अजय कुमार निवासी जियागॉव थाना रूपईडीहा जनपद बहराइच।

जनपद मीरजापुर/थाना अहरौरा

- **पुलिस कार्यवाही में 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त**
- **चोरी के 06 मोबाइल फोन**
- **5500/–रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 08.08.2025 को थाना अहरौरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर वनस्थली विद्यालय के पास स्थित जंगल में बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त जावेद घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 06 मोबाइल फोन, 5500/–रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मीरजापुर के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना अहरौरा पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अहरौरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– जावेद निवासी दुर्गा जी पहाड़ी नई बस्ती थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर।

बरामदगी

1–चोरी के 06 मोबाइल फोन।

2–5500/–रूपये नगद।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना शालीमार गार्डन

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की लगभग 08 लाख रूपये कीमत के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण**
- **चोरी के 27 हजार 540 रूपये नगद बरामद**

दिनॉकः 08.08.2025 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर राजेन्द्र नगर से 03 अभियुक्तों 1–वकील अहमद 2–प्रमोद 3–सोनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की लगभग 08 लाख रूपये कीमत के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, चोरी के 27 हजार 540 रूपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना शालीमार गार्डन क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना शालीमार गार्डन पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–वकील अहमद निवासी गली नं0–02 शिव विहार दिल्ली थाना करावल नगर, दिल्ली।

2–प्रमोद निवासी ग्राम किवाना कस्बा व थाना सिम्भालका जनपद पानीपत, हरियाणा।

3–सोनू निवासी गली नं0–06 नेहरू विहार करावल नगर रोड थाना दयालपुर, दिल्ली।

बरामदगी

1–चोरी की लगभग 08 लाख रूपये कीमत के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण।

2–चोरी के 27 हजार 540 रूपये नगद।

जनपद सहारनपुर/थाना फतेहपुर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 किलो 348 ग्राम अवैध चरस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनॉकः 08.08.2025 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बट्टनवाला से बुड्ढाखोर पुन्डीर जाने वाले रास्ते से 02 अभियुक्तों 1–पंकज 2–बब्लू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 किलो 348 ग्राम अवैध चरस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–पंकज निवासी ग्राम बट्टनवाला थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

2–बब्लू निवासी नौसरहेड़ी थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–01 किलो 348 ग्राम अवैध चरस।

2–01 मोटर साइकिल आदि।

- **जनपद जौनपुर/थाना पवारा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 65–65 हजार रूपये के अर्थदण्ड)**

जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जौनपुर द्वारा थाना पवारा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201 भादवि के अन्तर्गत 03 अभियुक्तों 1–अजय 2–सोहनलाल 3–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 65–65 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

- **<u>जनपद फिरोजाबाद/थाना मटसेना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 50–50 हजार रूपये के अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना मटसेना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 396 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–बब्लू उर्फ विजय 2–राजेश को आजीवन कारावास व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना महोली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 11 अभियुक्तों को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास व 01–01 लाख रूपये के अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना महोली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत 11 अभियुक्तों 1–हरिवंश उर्फ भूरे 2–सतीश सिंह 3–रामऔतार 4–मुन्ना सिंह 5–धर्मेन्द्र 6–प्रदीप 7–रामगोपाल 8–राजेन्द्र 9–मुकेश उर्फ विदुर 10–सतेन्द्र 11–रामकुमार को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास व 01–01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

————————